भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

52AC 613293

कार्यालय-उप-निबंधक द्वितीय-वाराणसी
द्वारा नकल संख्या 5917 2014 में लेखपत्र
संख्या.....7704 2014...की
सत्यापित ....23....
पन्नो में जारी की

पढ़ने वाला-श्री अशोक श्री०/सतीश श्री०
लि० लि०
सुनने वाला-श्रीमती [illegible] /रेनु सक्सेना
लि० लि०
सत्य प्रतिलिपि

उ० नि० II, वाराणसी

23340
14|11|2014

১০। মিঠেশ কুমার রায় ২০৫০ সাল
সাত

7704/14 2

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP30056491477650M
Certificate Issued Date	:	10-Oct-2014 04:10 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ VARANASI1/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0100784915115336M
Purchased by	:	RAMESTH INFRASTRUCTURE Pvt Ltd
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	ARAZI No-35,56,57, MAUZA-DAFI, PARGANA-DEHAT AMANAT VARANASI
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	AKBAL NARAYAN SINGH
Second Party	:	RAMESTH INFRASTRUCTURE Pvt Ltd
Stamp Duty Paid By	:	RAMESTH INFRASTRUCTURE Pvt Ltd
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	13,00,000 (Thirteen Lakh only)

Please write or type below this line

INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

0000360592

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

पढ़नेवाला - रेनूसक्सेना / अशोक श्री० नि०लि० नि०लि०

सुननेवाला - एन०के०सिंह / कमलाकान्त श्री० नि०लि० नि०लि०

उ०नि०-II वाराणसी

पढ़ने वाला-श्री अशोक श्री०/सतीश श्री० नि० लि०

सुनने वाला- श्रीमती आशा पाण्डेय/रेनू सक्सेना नि० लि०

सत्यापित प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

उ०नि० II, वाराणसी

जिला
उत्तर प्रदेश

3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 5000 पाँच हजार रुपये

Rs. 5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 002486

INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

विलेख विकास अनुबन्ध:डेवलपर डीडः

अकबाल नरायन सिंह पुत्र स्व० कामता प्रसाद सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर डाफी, पोस्ट-डाफी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी। ....प्रथमपक्ष/जमीन मालिक

व

रामेष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड (जरिये निदेशक राजीव रंजन कुमार सिंह पुत्र श्री नाथून प्रसाद सिंह) को-आपरेटिव कालोनी, पश्चिमी पटेल नगर पटना-23, बिहार रजिस्ट्रेशन नम्बर U45200BR2011PTC017578 of 2011-12.

......................द्वितीयपक्ष/डेवलपर बिल्डर

व

हरिशंकर सिंह उर्फ बेबन सिंह पुत्र श्री अकबाल नरायन सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर डाफी, पोस्ट-डाफी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी। ....तृतीयपक्ष/पुष्टिकर्ता

DIRECTOR INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

पढ़नेवाला - रेनू सेठी / अशोक श्री०
नि०लि० नि०लि०
सुननेवाला - [illegible] / शशीकान्त श्री०
नि०लि० नि०लि०

उ०नि०-II वाराणसी

पढ़ने वाला-श्री अशोक श्री०/सतीश श्री०
नि०लि०
सुनने वाला-श्रीमती आशा पाण्डेय/रेनू सेठी
नि०लि०
राजीव [illegible] सत्य प्रतिलिपि

उ०नि०II, वाराणसी

5422
10.10.14

घोषणा

मै एतद्द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ कि यह फोटो स्टेट प्रतिलिपि मूल लेख पत्र की सत्य एव सही प्रति है।

दिनांक 13/10/14

निष्पादक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AY 002604

विदित हो कि आराजी नम्बर 55 व आराजी नम्बर 56 व आराजी नम्बर 57 यानि कुल 3 गाटा रकबा 362.5 एयर में से 1/2 अपने सम्पूर्ण वैधानिक अंश रकबा 181.25 एयर यानि 19720 वर्गफीट यानि 1832.71 वर्गमीटर स्थित **मौजा डाफी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी** का अवलम्ब मिल्कियत हम प्रथमपक्ष को वरासतन प्राप्त हुई है, तथा प्रथमपक्ष अपने वैधानिक अंश पर बतौर एकमात्र स्वामी व वास्तविक रूप से अध्यासित रह कर उसका उपयोग-उपभोग अपनी इच्छानुसार करते चले आ रहे हैं। प्रथमपक्ष इस बात की भी घोषणा करते व पुष्टि करते है कि उपरोक्त भूमि हर प्रकार के वारसेन एवं सट्टा कुर्की चार्ज क्लेम व भार से पूरी तरह मुक्त है और इसके सम्बन्ध में किसी विभाग या न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है उपरोक्त कारण से प्रथमपक्ष अपनी उक्त सम्पत्ति का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने अथवा अन्तरित करने का एकमात्र अधिकारी है। प्रथमपक्ष/भू-स्वामी अपनी उक्त भू-सम्पत्ति को विकसित करके इमारत बनाने हेतु इच्छुक है परन्तु वित्त की कमी तथा तकनीकी निर्माण का अनुभव न होने के कारण स्वयं उक्त कार्य व योजना को मूर्त रूप देने में अपने को असमर्थ पा रहे है। प्रथमपक्ष ने निर्माण कार्य व विकास कार्य करने हेतु द्वितीयपक्ष से सम्पर्क किया जिसपर भू-स्वामी को ज्ञात हुआ कि द्वितीयपक्ष विकासकर्ता को ऐसे काम्पलेक्स के विकास करने एवं निर्माण करने का वृहद अनुभव है एवं तकनीकी व वित्तीय रूप से भी सक्षम होने के कारण बहुमंजिली इमारत का निर्माण करने व विकसित करने में भी सक्षम है। द्वितीयपक्ष की उपरोक्त क्षमता व अनुभव से अवगत होने एवं संतुष्ट होने व उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत

...STRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

सत्य प्रतिलिपि

उ०नि०-II वाराणसी

उ० नि० II, वाराणसी

विक्रय अनुबंध विलेख

19,244,000.00			10,100.00	40	10,140.00	2,000	
प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री अकबाल नरायन सिंह
पुत्र श्री स्व0 कामता प्रसाद सिंह
व्यवसाय सेवानिवृत
निवासी स्थायी नरायनपुर डाफी देहात अमानत वाराणसी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/10/2014 समय 11:38AM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

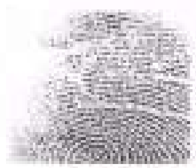

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

महेन्द्र प्रताप यादव
SRO2
Sub Registrar-II VNS
13/10/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री अकबाल नरायन सिंह
पुत्र श्री स्व0 कामता प्रसाद सिंह
पेशा सेवानिवृत
निवासी नरायनपुर डाफी देहात अमानत वाराणसी

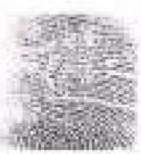

क्रेता

श्री रामेष्ट इन्फ्रा0 प्रा0 लि0 जरिये निदेशक राजीव रंजन कुमार सिंह
पुत्र श्री नायुन प्रसाद सिंह
पेशा व्यापार
निवासी को-आपरेटिव कालोनी प0 पटेल नगर पटना बिहार

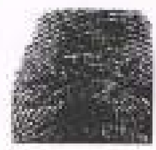

श्री हरिशंकर सिंह उर्फ बैचन सिंह पुष्टिकर्ता
पुत्र श्री अकबाल नरायन सिंह
पेशा कृषि
निवासी नरायनपुर डाफी देहात अमानत वाराणसी

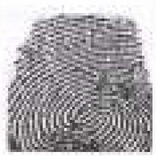

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 002496

रखते हुए प्रथमपक्ष ने अपने परिवार के सभी सदस्यों से विकास अनुबन्ध के बाबत् राय मशविरा करके तथा परिवार के सभी सदस्यों से सहमति प्राप्त करके द्वितीयपक्ष विकासकर्ता से अपनी उक्त सम्पत्ति भू-खण्ड को विकसित करके ऊपर बहुमंजिली इमारत निर्मित करने एवं विकास की योजना को विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर मूर्त रूप देने का निवेदन व प्रस्ताव रखा व द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष को इस दस्तावेज के अन्त में वर्णित सम्पत्ति का विकास करने व बहुमंजिली इमारत निर्मित करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त किया। इस प्रकार प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष विकासकर्ता को निर्माण व विकास कार्य करने हेतु अपनी सहमति व स्वीकृति दिया। अतः विकासकर्ता ने भू-स्वामी से बहुमंजिली इमारत (काम्पलेक्स) की कार्य योजना तैयार कर वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु भू-स्वामी/प्रथमपक्ष से संविदा कर प्रथमपक्ष/भू-स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है। अतः उभयपक्ष के मध्य उक्त विकास योजना के सम्बन्ध में जो शर्त व संविदा हुई है को लिपिबद्ध किया जाना नितान्त आवश्यक है। तद्नुसार उभयपक्ष स्वीकृत शर्तों एवं संविदा के सम्बन्ध में यह विलेख निष्पादित कर अपने-अपने को व अपने-अपने उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्नों को निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध करते व होते है :-

1. यह कि प्रथमपक्ष भू-स्वामी ने द्वितीयपक्ष विकासकर्ता को यह विश्वास दिलाया है कि :-

... INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

पढ़नेवाला - [illegible] / अशोक सी० नि०सि०

सुननेवाला - [illegible] / [illegible] नि०सि०

उपनि० II वाराणसी

पढ़ने वाला - श्री अशोक सी० / [illegible] नि०सि०

सुनने वाला - [illegible] नि०सि०

[illegible] प्रतिलिपि

उप नि० II, वाराणसी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान श्री राजीव राय पुत्र श्री शिव सागर राय पेशा व्यापार निवासी टिकरी देहात अमानत वाराणसी व श्री महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री शिवकुमार सिंह पेशा व्यापार निवासी बनकट भाया कसाप भोजपुर बिहार ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

महेन्द्र प्रताप यादव
SRO2
Sub Registrar-II VNS
13/10/2014

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AY 002498

अ. यह कि प्रथमपक्ष आराजी नम्बर 55 व आराजी नम्बर 56 व आराजी नम्बर 57 यानि कुल 3 गाटा रकबा 362.5 एयर में से 1/2 अपने सम्पूर्ण वैधानिक अंश रकबा 181.25 एयर यानि 19720 वर्गफीट यानि 1832.71 वर्गमीटर स्थित **मौजा डाफी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी** का स्वामी है एवं प्रथमपक्ष की उक्त सम्पत्ति जिसका विवरण इस दस्तावेज के अन्त में वर्णित है हर तरह के बारदेन रहमा कुर्की चार्ज वगैरह से पाक साफ बेखलिश है और प्रथमपक्ष की उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति भू-खण्ड के बाबत् विवाद या वाद किसी न्यायालय या किसी अधिकारी या विभाग में विचाराधीन नहीं है और प्रथमपक्ष की उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कभी कोई कुर्की या अर्जन की भी कोई नोटिस जारी नहीं हुई है न ही कहीं बन्धक है। अपितु प्रथमपक्ष की उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति पाक साफ व बेखलिश है और बवजह होने एकमात्र स्वामी प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता के साथ विलेख विकास अनुबन्ध करने का अधिकार प्राप्त है यदि भविष्य में उक्त तथ्यों के विपरीत कोई तथ्य पाया जाता है तो उसके लिए प्रथमपक्ष/भू-स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

ब. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामी के विरुद्ध अथवा उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई माँग किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विभाग का देय नहीं है। प्रथमपक्ष द्वारा उपरोक्त कही गई बातों पर विश्वास करते हुए और उसे सही मानते हुए द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता ने प्रथमपक्ष को उक्त

...INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

पढ़नेवाला - रेनू सेठी / अशोक सी० नि०लि० नि०लि०

सुननेवाला-एम०के०सिंह / शशीभूषण सी० नि०लि० नि०लि०

उ०नि०-II वाराणसी

सत्य प्रतिलिपि

उप नि० II वाराणसी

विक्रेता

Registration No.: 7704 Year: 2,014 Book No.: 1

0101 अकबाल नरायन सिंह

स्व0 कामता प्रसाद सिंह

नरायनपुर साफी देहात अमानत वाराणसी

सेवानिवृत

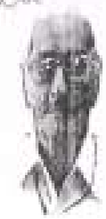

0102 हरिशंकर सिंह उर्फ बेचन सिंह पुष्टिकर्ता

अकबाल नरायन सिंह

नरायनपुर साफी देहात अमानत वाराणसी

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

9 OCT 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 002517

सम्पूर्ण भूमि का विकसित करने और उसपर बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर सहमति दी है।

स. यह कि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह विकास व निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने की तिथि से अवधि पाँच वर्ष यानि 60 माह में अनुबन्ध/संविदा के अनुसार सम्पूर्ण निर्माण कार्य को अन्तिम रूप से सम्पादित कर देगा और किसी अपरिहार्य स्थिति में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर भू-स्वामी द्वारा 6 माह का अतिरिक्त समय विकासकर्ता को भवन निर्माण हेतु प्रदान करना होगा। पाँच वर्ष यानि 60 माह की उक्त अवधि की गणना नक्शा पास होने की तिथि या भूमि पर कब्जा प्राप्त होने की तिथि में जो बाद में होगी उस तिथि से की जायेगी।

द. यह कि प्रथमपक्ष भूमि स्वामी ने यह भी आश्वासन द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता को दिया है कि विकास प्राधिकरण से बहुमंजिली इमारत का मानचित्र स्वीकृत होने पर अविलम्ब उक्त भूमि का रिक्त अवस्था में विकास करने एवं उसे बहुमंजिली इमारत का निर्माण करने के लिए द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता को उपलब्ध करा देगा। यदि अवस्था में भूखण्ड उपरोक्त द्वितीयपक्ष विकासकर्ता को उपलब्ध कराते समय किसी तरह का कोई व्यवधान किसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उसको सुलझाने का दायित्व भी मात्र प्रथमपक्ष/भू-स्वामी का ही होगा।

CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

DIRECTOR

पढ़नेवाला - रेनूनिगी / अशोक सी०

नि०लि० नि०लि०

सुननेवाला-... / ... सी०

नि०लि० नि०लि०

टंकलि०-II वाराणसी

3628
10-10-14
a
रामेष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा लि
को- आशियाना नगर पटना बिहार।
क्रेता

Registration No.: 7704 Year: 2014 Book No.: 1

0201 रामेष्ट इन्फ्रा0 प्रा0 लि0 जरिये निदेशक राजीव रंजन कुमार सि
नागेन्द्र प्रसाद सिंह Rajiv Singh
नि0-आशियाना कालोनी पी0 पटेल नगर पटना बिहार
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

9 OCT 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 002518

6

2. यह द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता उपरोक्त भूमि पर बहुमंजिली इमारत बनाने की आवश्यक योजना व विवरण तैयार करेगा तथा विकासकर्ता वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी या अन्य सम्बन्धित विभाग से स्वीकृत करायेगा और उसमें जो भी खर्च आयेगा उसे विकासकर्ता वहन करेंगे और इस कार्य को सम्पादित करने में जहाँ भी आवश्यकता होगी प्रथमपक्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा।

3. यह कि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति मानचित्र व योजना के अनुसार धन की व्यवस्था एवं तकनीकी एवं अन्य निर्माण एजेन्सी की व्यवस्था उपरोक्त विकास/निर्माण व उक्त प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस पर भू-स्वामी का किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी न है व न होगी।

4. यह कि सम्पूर्ण योजना को अन्तिम रूप से मूर्त रूप देने तक जो भी खर्च होगा उसे वहन करने का दायित्व द्वितीयपक्ष का होगा।

5. यह कि उक्त सभी निर्माण पर विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा सभी शर्तों के पालन करने में या निर्माण के दौरान यदि कोई बदलाव होता है तो उसके लिए द्वितीयपक्ष जिम्मेदार होगा। विकास एवं निर्माण कार्य में लगने वाले समस्त मूल्य खर्च जिसमें इमारती सामान, आर्किटेक्ट, इन्जीनियर ठेकेदार व सक्षम एजेन्सी आदि के खर्च शामिल है द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता अदा करेगा व वहन करेगा। यदि स्वीकृति मानचित्र व योजना में

...CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

DIRECTOR

पढ़नेवाला - ... / ... सी०

नि०लि० नि०लि०

सुननेवाला-... / ... सी०

नि०लि० नि०लि०

उपनि०-II वाराणसी

सत्य प्रतिलिपि

उप नि० II वाराणसी

Rs.5000

10-10-16

9

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

9 OCT 2014

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 002519

किसी भी बदलाव की आवश्यकता विकासकर्ता निर्माण के समय महसूस करता है तो उसके सम्बन्ध में विकासकर्ता को बदलाव का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता ने प्रथमपक्ष/भू-स्वामी को यह विश्वास दिलाया है कि इस प्रस्तावित योजना का निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुसार करेंगे, तथा निर्मित अपार्टमेन्ट **"हरि इन्क्लेव"** के नाम से जाना जायेगा।

7. यह कि उपरोक्त सम्पूर्ण प्रोजेक्ट मय विक्रय किये जाने वाले समस्त क्षेत्रफल में भू-स्वामी का अंश 40 प्रतिशत व विकासकर्ता का अंश 60 प्रतिशत होगा तथा उसी के अनुसार जैसे गैरेज, खुला भाग व पार्किंग वगैरह का उपयोग व उपभोग भू-स्वामी व विकासकर्ता व उसके प्रस्तावित क्रेता करेंगे परन्तु कामन सुविधा व जगह का विक्रय उभयपक्ष नहीं करेंगे। अपितु उक्त स्थल यथावत रहेगा तथा उसमें उनका अंश भी चिन्हित नहीं किया जायेगा। जबकि विक्रय किये जाने वाले क्षेत्रफल को उभयपक्ष निर्माण के दौरान मानचित्र तैयार कर अपना-अपना अंश लिखित रुप से चिन्हित कर लेवेंगे जिसका आपसी सहमति के आधारपर समझौता पत्र तहरीर किया जायेगा एवं उसी के अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने-अपने अंश उपरोक्त को अनुपात के अनुसार अन्तरित करने के अधिकारी है व रहेंगे।

8. यह कि विकासकर्ता द्वितीयपक्ष को यह अधिकार है व होगा कि वह उक्त भू-खण्ड सम्पत्ति पर संविदा/अनुबन्ध के अनुसार उसके

...INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

पढ़नेवाला - रेनूसेठी / अशोक सी०
नि०लि० नि०लि०
सुननेवाली-एडवोकेट / शशीकान्त सी०
नि०लि० नि०लि०

उपनि०-II वाराणसी

सत्य प्रतिलिपि

उप नि० II वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 002476

विकास व निर्माण हेतु विकास प्राधिकरण/विभिन्न अधिकारी या स्थानीय निकाय के समक्ष उपस्थित होकर मानचित्र प्रस्तुत करें एवं मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करें जिससे कि मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् बहुमंजिली इमारत व योजना को मूर्त रूप विकासकर्ता दे सके।

9. यह कि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता के हिस्से में आये 60 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल तथा उसके अनुपातिक व अविभाज्य भूमि को विक्रय करके विक्रय मूल्य द्वितीयपक्ष विकासकर्ता के नाम से वसूलने के लिए प्रथमपक्ष/भू-स्वामी ने **रामेष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड** को अधिकृत करके अपना मुख्तारेआम नियुक्त किया। उक्त मुख्तारेआम को यह अधिकार होगा कि वे द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता के हिस्से में आने वाले निर्मित क्षेत्रफल व आनुपातिक भूमि के बावत् सट्टा इकरारनामा करें तथा विक्रय विलेख तहरीर करके पंजीकृत करायें तथा विक्रय मूल्य द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता के नाम से वसूल करें।प्रथमपक्ष/भू-स्वामी द्वारा दिया गया यह अधिकार न तो खण्डित किया जा सकेगा। न ही परिवर्तित ही किया जा सकेगा।

10. यह कि विक्रय किये जाने वाले निर्मित क्षेत्रफल एवं भूमि के आनुपातिक अंश जो विकासकर्ता को 60 प्रतिशत अंश में प्राप्त हुई है को विक्रय अथवा अन्तरण करने व विक्रय धनराशि प्राप्त करने व आवंटित कर अग्रिम धनराशि प्राप्त करने व उक्त सम्बन्ध में उचित अनुबन्ध करने व अग्रिम धनराशि प्राप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रथमपक्ष/भू-स्वामी द्वारा द्वितीयपक्ष

...MASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

उ०नि०-II वाराणसी

Rs.5000

10 - 10 - 14

A-10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 803946

विकासकर्ता को सम्पूर्ण रूप से विलेख के द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है द्वितीयपक्ष विकासकर्ता द्वारा अपने 60 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल तथा उसके आनुपातिक व अविभाजित भूमि के विक्रय में प्रथमपक्ष/भू-स्वामी भविष्य में कभी कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगें।

11. यह कि इसी प्रकार भू-स्वामी अपने अंश 40 प्रतिशत निर्मित भाग तथा उसके अनुपातिक भूमि को आवंटित करने व विक्रय करने अथवा स्वयं इस्तेमाल करने का स्वतंत्र रहेंगे एवं भू-स्वामी द्वारा जो विक्रय पत्र उनके सम्भावित क्रेता के पक्ष में निष्पादित किया जायेगा इसमें द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा ।

12. यह कि प्रथमपक्ष भू-स्वामी को भू-तल पर स्थित पार्किंग में 40प्रतिशत पार्किंग स्थल तथा द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता को 60 प्रतिशत पार्किंग स्थल प्राप्त होगा।

13. यह कि पक्षगण को प्राप्त होने वाले दो फ्लैट जो सम्मिलित रूप से प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को प्राप्त होंगे का विक्रय विलेख उन पक्षों द्वारा सम्मिलित रूप से किया जायेगा जिन्हें वे फ्लैट सम्मिलित रूप से प्राप्त हुई है।

14. यह कि द्वितीयपक्ष विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित भवन में प्रथमपक्ष भू-स्वामियों का तयशुदा 40 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल विकासकर्ता

...CONSTRUCTIONS PVT. LTD.

DIRECTOR

५७९२
१०.१०.१४

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 803945

द्वारा मानक के अनुरूप पूर्ण कराकर प्रथमपक्ष को हस्तगत करेगा।

15. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामी द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता को प्रस्तावित मानचित्र व योजना के अनुसार भूखण्ड निर्माण हेतु अथवा दखल देने के पूर्व सम्पत्ति/ भूखण्ड के बावत् समस्त टैक्स, सरचार्ज या उसपर किसी प्रकार का कोई भार या चार्ज हो तो उसे वहन करने का एकमात्र दायित्व प्रथमपक्ष/भू-स्वामी का है व रहेगा।

16. यह कि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता को यह अधिकार है व होगा कि परिसर या भूमि पर अपना साइन बोर्ड लगावें।

17. यह कि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता निर्माण का विशिष्ट विवरण भू-स्वामी को लिखित रुप से इस इकरारनामा/संविदा के निष्पादित करने के पूर्व प्रस्तुत करेगा और उसी अनुसार विकासकर्ता विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत होने के बाद उपरोक्त शर्तों के अनुसार विकास एवं निर्माण करेगा।

18. यह कि निर्माण योजना पूर्ण होने पर प्रथमपक्ष/भू-स्वामी निर्मित क्षेत्र के 40 प्रतिशत व द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता 60 प्रतिशत के अपने-अपने अंश पर जो भी कर, भवन कर, जल कर सीवर कर व इलेक्ट्रिक बिल इत्यादि देय होगा उसे उक्त अनुपात के अनुसार प्रत्येक पक्ष अथवा उसके द्वारा विक्रीत फ्लैट के खरीदार अदा करने का उत्तरदायी है व होगा। प्रस्तावित भवन में स्थित फ्लैट के विक्रय के बाद फ्लैट के क्रेतागण द्वारा एक सोसाइटी का

...INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

सत्य प्रतिलिपि

16.10.14

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 803944

गठन किया जायेगा तथा सोसाइटी के नियम के तहत कॉमन सुविधाओं आदि के रख-रखाव का खर्च सोसाइटी द्वारा वहन किया जायेगा व सोसाइटी के नियम व शर्तों का अनुपालन करने के लिए फ्लैट के क्रेतागण बाध्य होंगे।

19. यह कि यदि उक्त निर्माण हेतु निश्चित अवधि के दौरान प्रथमपक्ष के स्वत्व, स्वामित्व या अध्यासन में त्रुटि होने अथवा निर्माण के सम्बन्ध में किसी विभाग या न्यायालय द्वारा रोक लगाया जाता है या निर्माण के दौरान कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटती है या दैवी आपदा भूकम्प या शहर के असाधारण परिस्थिति होने की वजह से कर्फ्यू लग जाने इत्यादि की वजह से निर्माण कार्य बाधित होता है तो उक्त अवधि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता को प्राप्त निर्माण कार्य के उक्त समयावधि में सम्मिलित नहीं होगा अपितु उक्त अवधि निश्चित अवधि के अलावा अतिरिक्त अवधि के रूप में द्वितीयपक्ष को प्राप्त होगी। जिससे कि द्वितीयपक्ष उपरोक्तानुसार अपना निर्माण करा सके।

...INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

पढ़नेवाला - [illegible] / [illegible]

सुननेवाला - [illegible] / [illegible]

उ०नि०-II वाराणसी

पहने वाला - श्री [illegible]

दूसरे वाला - श्रीमती [illegible]

[illegible] सत्य प्रतिलिपि

बे० नि० II वाराणसी

5004
10.10.15

[illegible]
[illegible]
[illegible]

वाराणसी-जिला
उत्तर प्रदेश

14

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 803943

20. यह कि प्रस्तावित निर्माण के बाबत् विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी कम्पाउण्डिंग शुल्क निर्धारित होगा उसकी अदायगी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अपने-अपने हिस्से का स्वयं करेंगे।

21. यह कि किन्हीं कानूनी बाधाता की वजह से या भू-स्वामी के मालिकाना हक में किसी विवाद के कारण यदि प्रस्तावित आवासीय काम्पलेक्स का निर्माण बाधित होता है या पूर्ण नहीं हो पाता है तो द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता द्वारा उस समय तक व्यय किये गये धन को द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता को प्रथमपक्ष/भू-स्वामी की उक्त सम्पत्ति से वसूलने का अधिकार होगा।

22. यह कि प्रस्तावित आवासीय इमारत के निर्मित क्षेत्रफल में किसी प्रकार की घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी होती है तो प्रथमपक्ष/भू-स्वामी तथा द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता का अंश उसी अनुपात में बढ़ेगा या घटेगा।

23. यह कि उपरोक्त डेवलपर एग्रीमेन्ट में वर्णित रकबा के अलावा यदि भू-स्वामी का और ज्यादा रकबा निकलता है तो प्रथमपक्ष/भू-स्वामी व द्वितीयपक्ष/डेवलपर उक्त रकबे का इस्तेमाल सेट बैक के रूप में करेंगे।

...INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

पढ़नेवाला - ... / ... नि०लि० नि०लि०

सुननेवाला - ... / ... नि०लि० नि०लि०

उ०नि०-II वाराणसी

सत्य प्रतिलिपि

उ०नि०-II वाराणसी

5095

10.10.14

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 803942

24. यह कि निर्माण कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता पर होगी उसकी अनुपस्थिति पर उसके प्रतिनिधि या स्थानापन्ना द्वारा कार्य पूर्ण कराया जायेगा और उक्त प्रतिनिधि या स्थानापन्ना को इस अनुबन्ध के अन्तर्गत उक्त कार्य पूर्ण करना होगा तथा उसे वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो द्वितीयपक्ष विकासकर्ता को इस अनुबन्ध द्वारा प्राप्त है।

25. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामी ने यह भी स्वीकार किया है व वचन दिया है कि उसका भी यह दायित्व है कि वह सम्पूर्ण भवन पर अस्तित्व सम्पूर्ण कार्य योजना व निर्माण कार्य द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता द्वारा कराये जाने तक यथावत रखे अर्थात् उक्त निर्माण की अवधि के दौरान कार्य प्रगति के मध्य अपने मालिकाना हक को हस्तान्तरित नहीं करेगा अपितु अनुबन्ध संविदा की शर्तों को उभयपक्ष अक्षरशः पालन करेंगे एवं उनके न रहने पर उक्त समस्त शर्तों के अनुपालन का दायित्व उभयपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्नों का रहेगा।

26. यह कि यदि निर्माण कार्य के दौरान किसी पक्ष की मृत्यु हो जाने अथवा किसी अप्रिय घटना के घटित होने की स्थिति में उभयपक्ष के उत्तराधिकारी तथा स्थानापन्नों या अधिकृत व्यक्ति अनुबन्ध की शर्तों का पालन करने हेतु उत्तरदायी रहेंगे।

...INFRASTRUCTURES PVT. LTD.

पढ़नेवाला - रेनू सेठी / अशोक श्री०
नि०लि० नि०लि०
सुननेवाला-ए.के.वर्मा / संतोष श्री०
नि०लि० नि०लि०

उ०नि०-II वाराणसी

5596

16-10-14

[illegible]

[illegible]

1000/[illegible]

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 586127

27. यह कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर द्वितीयपक्ष विकासकर्ता अपनी समस्त निर्माण सामग्री उठाने का अधिकारी है व होगा। उक्त समस्त सामग्री के स्वत्व स्वामित्व या अध्यासन से कोई सम्बन्ध भू-स्वामी/प्रथमपक्ष का नहीं होगा।

28. यह कि प्रथमपक्ष भू-स्वामी व द्वितीयपक्ष विकासकर्ता अपने अपने हिस्से में आने वाले निर्मित क्षेत्रफल के बाबत सभी प्रकार के इनकम टैक्स सर्विस टैक्स केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आरोपित कोई अन्य टैक्स की अदायगी अपने हिस्से के अनुपात में करेंगे। एक पक्ष के निर्मित क्षेत्रफल पर लगने वाले किसी भी प्रकार के टैक्स का दूसरे पक्ष से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहेगा।

29. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामी को द्वितीयपक्ष विकासकर्ता द्वारा मु0 10,00,000/-रुपया (दस लाख रुपये) ब्याज रहित जमानत धनराशि दी जा रही है जिसमें से मु0 51,000/- रुपया दिनांक 12.07.2014 ई0 को जरिये चेक नं0 000012 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा एजी कालोनी पटना बिहार व मु0 5,00,000/-रुपया जरिये चेक नं0 000368 दिनांक 25.08. 2014 ई0 को बैंक आफ इण्डिया करबिगहिया शाखा पटना बिहार से व शेष मु0 4,49,000/-रुपया भूमि पूजन के दिन या बाद तक द्वितीयपक्ष द्वारा प्रथमपक्ष को अदा कर दिया जायेगा।

...INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

पढ़नेवाला - रेनू सक्सेना / अशोक श्री० नि०लि०

सुननेवाला - ए०के० मौर्य / हरीशचन्द्र श्री० नि०लि०

सत्य प्रतिलिपि

उ०नि० II वाराणसी

5597

10.10.14

[illegible]

17

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

15

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH U 586126

तथा सम्पूर्ण जमानत धनराशि प्रथमपक्ष द्वारा आज की तिथि से 18 माह के अन्दर द्वितीय पक्ष को वापस कर दिया जायेगा।

30. यह कि तृतीय पक्ष पुष्टिकर्ता, प्रथमपक्ष/भू-स्वामी का पुत्र है तथा इस विकास अनुबन्ध डेवलपर डीड से तृतीय पक्ष पुष्टिकर्ता एवं उनके उत्तराधिकारीगण को न कोई आपत्ति है और ना ही भविष्य में होगी। इस वास्ते द्वितीयपक्ष की संतुष्टि के लिये तृतीय पक्ष को पुष्टिकर्ता बनाया गया है।

31. यह कि प्रथमपक्ष भू-स्वामी निर्मित क्षेत्रफल के अलावा जैसे छत, सीढ़ी और पार्किंग व लिफ्ट जैसी सारी सुविधा कामन होगी इसमें किसी का कोई आधिपत्य नही होगा।

32. यह कि निर्मित क्षेत्रफल के पार्किंग के प्रतिशत में अगर जगह कम या ज्यादा होने की स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे को बाजार भाव से भुगतान करना होगा।

33. यह कि यदि द्वितीयपक्ष/विकासकर्ता द्वारा नक्शे के अतिरिक्त जो भी निर्माण कराया जाता है तो निर्मित क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत प्रथमपक्ष व 60 प्रतिशत द्वितीय पक्ष का होगा। अगर किसी भी पक्ष के हिस्से में निर्मित क्षेत्रफल के प्रतिशत का अन्तर होने पर दोनों ही पक्ष एक दूसरे को बाजार भाव से भुगतान करेंगे।

34. यह कि वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी के रूल के अनुसार जो नक्शा पास होगा उसके बाद जो कम्पाउण्डिंग निर्माण चार्ज लगेगा उसे प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष द्वारा अपने-अपने हिस्से के अनुसार देंगे।

...INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

पहचानकर्ता – रेनू रानी / अशोक सी० नि०लि० नि०लि०

पुष्टकर्ता – ... / ... सी० नि०लि० नि०लि०

उ०नि०-II वाराणसी

सत्य प्रतिलिपि

उ० नि० II, वाराणसी

5998
10.10.16

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 16 U 586125

35. यह कि नक्शे के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल के हिस्सा के बटवारे में फुट का भी अन्तर आता है तो उसका भुगतान दोनो पक्ष एक दूसरे को बाजार भाव से करेंगे। एवं निर्मित क्षेत्रफल के निर्माण एवं बिक्री के समय जो भी सरकारी व्यवधान/लाईसेन्स इत्यादि पर खर्च लगेगा उसे प्रथमपक्ष व द्वितीय पक्ष को अपने-अपने अनुपात के हिसाब से वहन करना पड़ेगा।

36. यह कि कामन सुविधा जैसे की लिफ्ट, जनरेटर, ट्रांसफार्मर में जो खर्च होगा उस खर्च का वहन दोनो पक्ष अपने-अपने क्षेत्रफल के अनुसार करेंगे। यानि प्रथमपक्ष 40 प्रतिशत व द्वितीयपक्ष 60 प्रतिशत खर्च वहन करेगा।

37. यह कि इस विकास अनुबन्ध के बाबत् यदि पक्षगण के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उक्त विवाद का निपटारा पक्षगण आपसी पंचाट के द्वारा निस्तारित करेंगे उक्त पंचाट में दोनो पक्षगण एक-एक सदस्य नामित करेंगे तथा उन दोनो सदस्यों द्वारा एक तीसरा सदस्य नामित किया जायेगा। उक्त पंचाट द्वारा

MANUFACTURING PVT. LTD.

DIRECTOR

10-10-14

Chief Treasury Officer
VARANASI

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 17 U 586124

दिया गया निर्णय उभय पक्षगण पर बाध्यकारी होगा तथा उक्त प्रसंग पर Arbitration and Reconciliation Act 1996 लागू होगा।

38. यह कि विकास अनुबन्ध शुदा जायदाद मुख्य सड़क से 200 मीटर बाद नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है। सरकारी दर से जायदाद मुतदईया की कीमत रु0 10,500/- प्रतिवर्गमीटर की दर से रकबा 1832.71 वर्गमीटर की कीमत मु0 1,92,43,455/- रुपया होता है इसलिये नियमानुसार मु0 1,92,44,000/-रुपया पर 7 प्रतिशत की दर से मु0 13,47,200/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। जिसमें मु0 100/-रुपये का स्टाम्प शुल्क पुष्टिकर्ता का भी सम्मिलित है। अदा किये जाने वाला कुल स्टाम्प में से मु0 13,00,000/- रुपया का ई- स्टाम्प जिसका नम्बर IN-UP00656491477650M द्वारा अदा किया गया है तथा शेष मु0 47,200/-रुपया जरिये स्टाम्प पेपर अदा किया गया है।

... INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

पढ़नेवाला - रेनू... / अशोक ... लिपिक

सुननेवाला-ए.के.सिंह / ... लिपिक

उ0नि0-II वाराणसी

6000

10.10.14

जिला

उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18 AW 258929

इस वास्ते उभयपक्ष ने स्वस्थ चित्त व मन से भली-भाँति सोच विचार कर विलेख/अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों को पढ़ व पढ़वाकर व सुन व समझकर इसके कानूनी प्रभाव से पूरी तरह वाकिफ होकर यह डेवलपर्स एग्रीमेंट पर समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आव व प्रमाण रहे।

<u>विवरण सम्पत्ति जिसके बावत यह डेवलपर एग्रीमेंट तहरीर हो रहा है</u>

आराजी नम्बर 55 व आराजी नम्बर 56 व आराजी नम्बर 57 यानि कुल 3 गाटा रकबा 362.5 एयर में से 1/2 अपने सम्पूर्ण वैधानिक अंश रकबा 181.25 एयर यानि 19720 वर्गफीट यानि 1832.71 वर्गमीटर स्थित मौजा छापी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला-वाराणसी जिसे संलग्न नक्शे में लाल सुर्ख तिरछी लकीरों से प्रदर्शित किया गया है। जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

...NSTRUCTIONS PVT. LTD.

पढ़नेवाला - रेनूबनर्जी / अशोक श्री०
नि०लि० नि०लि०
सुननेवाला-ए०के०सिंह / शशीकान्त श्री०
नि०लि० नि०लि०

उ०नि०-II वाराणसी

पढ़ने वाला-श्री अशोक श्री०/सतीश श्री०
नि०लि०
सुनने वाला-श्रीमती अनीता पाण्डेय/रेनू [illegible]
नि०लि०
[illegible] [illegible] सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक II, वाराणसी

6001
10-10-14

[illegible]

जिला - वाराणसी - उत्तर प्रदेश

21

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19 AW 258928

पूरब :- जमीन असेश चन्द राय वगैरह।

पश्चिमी :- सड़क सरकारी।

उत्तर :- जमीन विभूति नारायण सिंह वगैरह।

दक्षिण :- जमीन कृष्ण मुरारी सिंह वगैरह।

तहरीर तारीख :- 13.10.2014 ई0

साक्षी सं0 1:-

नाम - राजीव राय

पिता का नाम - श्री शिव सागर राय

पूरा पता - प्रो0 BHU वाराणसी

...INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

पढ़नेवाला - रेनूसिंह / अशोक सिंह

नि0लि0 नि0लि0

सुननेवाला-एल0के0सिंह / अशोकचन्द सिंह

नि0लि0 नि0लि0

उ0नि0-II वाराणसी

सत्य प्रतिलिपि

6082
16.10.14

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20 AW 258927

साक्षी सं० 2:-

नाम - महेन्द्र प्रताप सिंह

पिता का नाम - श्री शिवकुमार सिंह

पूरा पता - ग्राम+पो० - बनकट
थाना - कारगह
जिला - भोजपुर (बिहार)

मसविदाकर्ता:- रितेश कुमार राय एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।

...INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

पट्टेवाला - रेनू सेठी / अंशीका सेठी
नि०लि० नि०लि०
गुत्तेवाला-[illegible] / अंशीकाल सेठी
नि०लि० नि०लि०

[illegible]

सत्य प्रतिलिपि

6007
10.10.14

वाराणसी - जिला - वाराणसी

उत्तर प्रदेश

23

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21

AW 258926

टाइपकर्ता :- (जितेन्द्र कुमार)

सेंट्रल बीर बिल्डिंग, दुकान नं० 5

वाराणसी।

पैन नं०- DFMPS5383Q

प्रथमपक्ष

[signature]

द्वितीयपक्ष

[illegible] INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

DIRECTOR

पढ़नेवाला - रेनू सिंह / अशोक सिंह
नि०लि० नि०लि०
सुननेवाला-ए०के०सिंह / [illegible] सिंह
नि०लि० नि०लि०

उ०नि०-II वाराणसी

[illegible]वाला-[illegible] सिंह/[illegible] सिंह
नि० लि०
[illegible]वाला-श्रीमती [illegible] पाण्डेय/रेनू [illegible]
नि० लि०

[illegible] सत्य प्रतिलिपि

उ० नि० II, वाराणसी

6604
10.10.14

राजेन्द्र ... को ... किया

आज दिनांक **13/10/2014** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **6658**

पृष्ठ सं. **309** से **352** पर क्रमांक **7704**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

महेन्द्र प्रताप यादव
SRO2
Sub Registrar-II VNS
13/10/2014

पत्र वाहक-श्री अशोक ...
... ० नि०
...
राजेन्द्र ...
सत्य प्रतिलिपि

उ० नि० II. वाराणसी
13/11/14